न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 35/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांकः– 17.06.2021

1. श्रीमती सुमन पत्नी सुरेशचन्द्र जाति काबरा माहेश्वरी आयु व्यस्क निवासी चान्दखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

– प्रार्थीया

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सेवाराम पूर्बिया आयु व्यस्क निवासी रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. सुश्री चन्द्रा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति दाणी जैन आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 .निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. राजेश पिता मोतीलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी रानीखेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा अमीनपुरा प0ह0 बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 50 की आराजी नं0 24 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिससे कारण प्रार्थीया व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 400/–रू0 फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीया की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा अमीनपुरा प0ह0 बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 50 की आराजी नं0 24 रकबा 0. 7800 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.7800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021. को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड़ अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official